उत्पाद-शुल्क

धारा 4क का संशोधन।

59. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 4क की उपधारा (1) में, "बाट और माप मानक अधिनियम, 1976" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009" शब्द और अंक रखे जाएंगे और 1 मार्च, 2011 से रखे गए समझे जाएंगे । 1944 का 1 1976 का 60 2010 का 1

धारा 11क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

60. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् : —

उद्गृहीत नहीं किए गए या संदत्त नहीं किए गए या कम उद्गृहीत किए गए या कम संदत्त किए गए या भूल से प्रतिदाय किए गए शुल्कों की वसूली।

'11क. (1) जहां कोई उत्पाद-शुल्क, कपट या दुरभिसंधि या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने या शुल्क के संदाय से बचने के आशय से इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन के कारण से भिन्न, किसी कारण उद्गृहीत या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत या कम संदत्त किया गया है या भूल से उसका प्रतिदाय किया गया है, वहां —

(क) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, सुसंगत तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसे शुल्क से, जो इस प्रकार उद्गृहीत या संदत्त नहीं किया गया है या जिसे इस प्रकार कम उद्गृहीत या कम संदत्त किया गया है या जिसको भूल से उसका प्रतिदाय किया गया है, प्रभार्य व्यक्ति को एक सूचना की, यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए, तामील करेगा कि उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय क्यों नहीं करना चाहिए ;

(ख) शुल्क से प्रभार्य व्यक्ति, खंड (क) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व,—

(i) ऐसे शुल्क के बारे में अपने स्वयं के अभिनिश्चय के आधार पर; या

(ii) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा अभिनिश्चित शुल्क के आधार पर,

शुल्क की रकम का धारा 11कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ संदाय कर सकेगा ।

(2) वह व्यक्ति, जिसने उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन शुल्क का संदाय किया है, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित में सूचना देगा, जो ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, इस प्रकार संदत्त शुल्क या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय किसी शास्ति की बाबत उस उपधारा के खंड (क) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं करेगा ।

(3) जहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी की यह राय है कि उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन संदत्त रकम वास्तव में संदेय रकम से कम है, वहां वह उस रकम की बाबत, जो उस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में वास्तव में संदेय रकम से कम हो जाती है, उस उपधारा के खंड (क) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिए कार्यवाही करेगा और एक वर्ष की अवधि की संगणना उपधारा (2) के अधीन सूचना की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी ।

(4) जहां कोई उत्पाद-शुल्क, शुल्क से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा,—

(क) कपट ; या

(ख) दुरभिसंधि ; या

(ग) जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन ; या

(घ) तथ्यों को छिपाने ; या

(ङ) शुल्क के संदाय से बचने के आशय से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन,

के कारण उद्गृहीत या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत या कम संदत्त किया गया है या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है तो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी सुसंगत तारीख से पांच वर्ष के भीतर ऐसे व्यक्ति को, उससे यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए, एक सूचना की तामील करेगा कि उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का धारा 11कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज और सूचना में विनिर्दिष्ट शुल्क के बराबर शास्ति के साथ संदाय क्यों नहीं करना चाहिए ।

(5) जहां किसी संपरीक्षा, अन्वेषण या सत्यापन के अनुक्रम के दौरान यह पाया जाता है कि किसी शुल्क को उपधारा (4) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (ङ) में वर्णित कारणों से उद्गृहीत या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत या कम संदत्त किया गया है या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है, किंतु संव्यवहारों से संबंधित ब्यौरे विनिर्दिष्ट अभिलेख में उपलब्ध हैं, तो ऐसे मामलों में, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी सुसंगत तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर शुल्क से प्रभार्य व्यक्ति को, उससे यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए, एक सूचना की तामील करेगा कि उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का धारा 11कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज और ऐसे शुल्क के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति के साथ संदाय क्यों नहीं करना चाहिए ।

(6) उपधारा (5) के अधीन शुल्क से प्रभार्य कोई व्यक्ति, उस पर हेतुक दर्शित करने वाली सूचना की तामील से पूर्व, पूर्ण शुल्क या उसके ऐसे भाग का, जो उसके द्वारा स्वीकार किया जाए, धारा 11कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज और उस मास के, जिसमें ऐसा शुल्क संदेय था, उत्तरवर्ती मास से प्रतिमास परिकलित किए जाने वाले ऐसे शुल्क के एक प्रतिशत के बराबर, किंतु शुल्क के अधिकतम पच्चीस प्रतिशत से अनधिक, शास्ति के साथ, संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय की केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को लिखित में सूचना देगा ।

(7) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, उपधारा (6) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर,—

(i) इस प्रकार संदत्त रकम की बाबत किसी सूचना की तामील नहीं करेगा और जहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि उपधारा (6) के अधीन यथा उपबंधित शुल्क, ब्याज और शास्ति की रकम का पूर्णतया संदाय कर दिया गया है, वहां उक्त शुल्क की बाबत सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी;

(ii) ऐसी रकम की, यदि कम संदाय की गई पाई जाती है, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में वसूली के लिए कार्यवाही करेगा और एक वर्ष की अवधि की संगणना ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी।

(8) उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट एक वर्ष अथवा उपधारा (4) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट पांच वर्ष की अवधि की संगणना करने में, वह अवधि अपवर्जित की जाएगी जिसके दौरान ऐसे शुल्क के संदाय की बाबत न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा कोई रोकादेश दिया गया था ।

(9) जहां कोई अपील प्राधिकारी या अधिकरण या न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उपधारा (4) के अधीन जारी की गई सूचना इस कारण से ग्रहण करने योग्य नहीं है कि कपट या दुरभिसंधि या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने या शुल्क के संदाय से बचने के आशय से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन के आरोप उस व्यक्ति के विरुद्ध,, जिसे सूचना जारी की गई थी, सिद्ध नहीं हुए हैं, वहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी यह मानते हुए कि मानो सूचना उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन जारी की गई थी, एक वर्ष की अवधि के लिए उस व्यक्ति द्वारा संदेय उत्पाद-शुल्क का अवधारण करेगा ।

(10) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान करने और उस व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति से शोध्य उत्पाद-शुल्क की रकम का, जो सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक न हो, अवधारण करेगा ।

(11) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी उपधारा (10) के अधीन उत्पाद-शुल्क की रकम का,—

(क) उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में सूचना की तारीख से छह मास के भीतर ;

(ख) उपधारा (4) या उपधारा (5) के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में सूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर,

अवधारण करेगा ।

(12) जहां अपील प्राधिकारी उपधारा (10) के अधीन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा अवधारित उत्पाद-शुल्क की रकम को उपांतरित करता है, वहां इस धारा के अधीन शास्तियों और ब्याज की रकम इस प्रकार उपांतरित उत्पाद-शुल्क की रकम को हिसाब में लेते हुए, तदनुसार उपांतरित हो जाएगी ।

(13) जहां अपील प्राधिकारी द्वारा यथा उपांतरित रकम केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा उपधारा (10) के अधीन अवधारित रकम से अधिक है, वहां उस समय की, जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन ब्याज या शास्ति संदेय है, संगणना, ऐसी वर्धित रकम के संबंध में अपील प्राधिकारी के आदेश की तारीख से की जाएगी ।

(14) जहां इस धारा के अधीन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा उत्पाद-शुल्क का अवधारण करने संबंधी कोई आदेश पारित किया जाता है, वहां उक्त उत्पाद-शुल्क का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति इस प्रकार अवधारित रकम का ऐसी रकम पर देय ब्याज सहित, चाहे ब्याज की रकम पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट की गई हो या नहीं, संदाय करेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 11कग के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "प्रतिदाय" के अंतर्गत भारत के बाहर निर्यात किए गए उत्पाद-शुल्क्य माल या ऐसे माल के, जो भारत के बाहर निर्यात किए जाते हैं, विनिर्माण में प्रयुक्त उत्पाद-शुल्क्य सामग्रियों पर उत्पाद-शुल्क की रिबेट भी है ;

(ख) "सुसंगत तारीख" से,—

(i) ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल की दशा में, जिन पर उत्पाद-शुल्क उद्गृहीत या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत या कम संदत्त किया गया है और इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा यथा अपेक्षित कोई आवधिक विवरणी फाइल नहीं की गई है, वह अंतिम तारीख अभिप्रेत है जिसको ऐसी विवरणी इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन फाइल की जानी अपेक्षित है ;

(ii) ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल की दशा में, जिन पर उत्पाद-शुल्क उद्गृहीत या संदत्त नहीं किया गया या कम उद्गृहीत या कम संदत्त किया गया है और विवरणी नियत तारीख को फाइल कर दी गई है, वह तारीख अभिप्रेत है जिसको ऐसी विवरणी फाइल की गई है ;

(iii) किसी अन्य दशा में, वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको उत्पाद-शुल्क का इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन संदाय किया जाना अपेक्षित है ;

(iv) उस दशा में, जहां उत्पाद-शुल्क इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनंतिम रूप से निर्धारित किया जाता है, शुल्क के अंतिम निर्धारण के पश्चात् उसके समायोजन की तारीख अभिप्रेत है ;

(v) ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल की दशा में, जिन पर उत्पाद-शुल्क का भूल से प्रतिदाय किया गया है, ऐसे प्रतिदाय की तारीख अभिप्रेत है ;

(ग) "विनिर्दिष्ट अभिलेख" से कंप्यूटरीकृत अभिलेखों सहित ऐसे अभिलेख अभिप्रेत हैं, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार शुल्क से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा रखे गए हैं ;'।

धारा 11कक और धारा 11 कख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

61. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कक और धारा 11कख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

शुल्क के विलम्बित संदाय पर ब्याज।

"11कक. (1) अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश में या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, वह व्यक्ति, जो शुल्क का संदाय करने के लिए दायी है, शुल्क के अतिरिक्त, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा, चाहे ऐसा संदाय स्वेच्छया या धारा 11क के अधीन शुल्क की रकम के अवधारण के पश्चात् किया जाता है ।

(2) प्रतिवर्ष दस प्रतिशत से अन्यून और छत्तीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, ब्याज का संदाय, ऐसे शुल्क का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति द्वारा ऐसी नियत तारीख के पश्चात् धारा 11क के निबंधनानुसार किया जाएगा और ऐसे ब्याज की संगणना उस तारीख से, जिसको ऐसा शुल्क शोध्य हो जाता है, शोध्य रकम के वास्तविक संदाय की तारीख तक की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात होते हुए भी, कोई ब्याज वहां संदेय नहीं होगा, जहां,—

(क) शुल्क धारा 37ख के अधीन बोर्ड द्वारा कोई आदेश, अनुदेश या निदेश जारी किए जाने के परिणामस्वरूप संदेय हो जाता है; और

(ख) शुल्क की ऐसी रकम का संदाय (ऐसे आदेश, अनुदेश या निदेश के जारी किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर), ऐसे संदाय के किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर उक्त संदाय के विरुद्ध अपील करने के किसी अधिकार को आरक्षित किए बिना, स्वेच्छया पूर्णतः कर दिया जाता है ।"।

धारा 11कग के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

62. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय मामलों में शुल्क के कम उद्ग्रहण या उद्ग्रहण न किए जाने के लिए शास्ति।

"11कग. (1) उद्गृहीत न किए जाने या कम उद्गृहीत किए जाने या संदत्त न किए जाने या कम संदत्त किए जाने या भूल से प्रतिदाय किए जाने के लिए शास्ति की रकम नीचे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी, अर्थात् :—

(क) जहां कोई उत्पाद-शुल्क कपट या दुरभिसंधि या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने या शुल्क के संदाय से बचने के आशय से इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन के कारण उद्गृहीत या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत या कम संदत्त किया गया या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है, वहां वह व्यक्ति, जो धारा 11क की उपधारा (10) के अधीन यथा अवधारित शुल्क का संदाय करने के लिए दायी है, इस प्रकार अवधारित शुल्क के बराबर शास्ति का संदाय करने के लिए भी दायी होगा ;

(ख) जहां विनिर्दिष्ट अभिलेखों में किसी संव्यवहार के उपलब्ध ब्यौरों से यह प्रकट होता है कि धारा 11क की उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी उत्पाद-शुल्क को उद्गृहीत या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत या कम संदत्त किया गया है या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है, वहां वह व्यक्ति, जो धारा 11क की उपधारा (10) के अधीन यथा अवधारित शुल्क का संदाय करने के लिए दायी है, इस प्रकार अवधारित शुल्क के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करने के लिए भी दायी होगा ;

(ग) जहां खंड (ख) में निर्दिष्ट संव्यवहारों की बाबत धारा 11क की उपधारा (10) के अधीन यथा अवधारित किसी शुल्क और धारा 11कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज का, ऐसे केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के, जिसने ऐसे शुल्क को अवधारित किया है, आदेश की संसूचना की तारीख से, तीस दिन के भीतर संदाय किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा संदाय किए जाने के दायित्वाधीन शास्ति की रकम इस प्रकार अवधारित शुल्क का पच्चीस प्रतिशत होगी ;

(घ) जहां अपील प्राधिकारी धारा 11क की उपधारा (10) के अधीन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा अवधारित उत्पाद-शुल्क की रकम को उपांतरित करता है, वहां संदेय शास्तियों और ब्याज की रकम तदनुसार उपांतरित हो जाएगी और इस प्रकार उपांतरित उत्पाद-शुल्क की रकम को हिसाब में लेने के पश्चात् वह व्यक्ति, जो धारा 11क की उपधारा (10) के अधीन यथा अवधारित शुल्क का संदाय करने के लिए दायी है, इस प्रकार अवधारित शास्ति या ब्याज की ऐसी रकम का संदाय करने के लिए भी दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि ऐसे किसी मामले में, जहां धारा 11क की उपधारा (4) के अधीन किसी सूचना की तामील की गई है और ऐसी सूचना के जारी किए जाने के पश्चात्, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी की यह राय है कि ऐसे संव्यवहार, जिनकी बाबत सूचना जारी की गई थी, विर्निदिष्ट अभिलेखों में अभिलिखित कर दिए गए हैं और वह मामला उपधारा (5) के अंतर्गत आता है, वहां शुल्क के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति उद्ग्रहणीय होगी ।

(2) जहां अपील प्राधिकारी द्वारा यथा उपांतरित रकम केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा धारा 11क की उपधारा (10) के अधीन अवधारित रकम से अधिक है, वहां उस समय की, जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन ब्याज या शास्ति संदेय है, संगणना ऐसी वर्धित रकम के संबंध में अपील प्राधिकारी के आदेश की तारीख से की जाएगी।"।

नई धारा 11ङ का अंतःस्थापन।

63. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11घघक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अधिनियम के अधीन दायित्व का प्रथम प्रभार होना।

"11ङ. किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदेय शुल्क, शास्ति, ब्याज की कोई रकम या कोई अन्य राशि, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529क और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 तथा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यथास्थिति, निर्धारिती या व्यक्ति की संपत्ति पर प्रथम प्रभार होगी।"।

1956 का 1
1993 का 51
2002 का 54

धारा 12 का संशोधन।

64. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 12 में, "धारा 3" शब्द और अंक के पश्चात्, "और धारा 3क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे और 10 मई, 2008 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे :

परन्तु सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अपराधों और शास्तियों से संबंधित उपबंध धारा 3क के अंतर्गत आने वाले मामलों के सम्बन्ध में 10 मई, 2008 को आरंभ होने वाली तथा उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, ठीक पूर्व समाप्त होने वाली अवधि के लिए लागू नहीं होंगे। 1962 का 52

नई धारा 12च का अंतःस्थापन।

65. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 12ङ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति।

"12च. (1) जहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क संयुक्त आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अपर आयुक्त के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई दस्तावेज या पुस्तकें या वस्तुएं, जो उसकी राय में इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या उनसे सुसंगत होंगी, किसी स्थान में छिपाई गई हैं वहां वह किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को तलाशी लेने और अभिग्रहण करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा या स्वयं ऐसे दस्तावेजों या पुस्तकों या वस्तुओं की तलाशी ले सकेगा और उनका अभिग्रहण कर सकेगा ।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस संहिता के अधीन तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।"। 1974 का 2

नई धारा 35द का अंतःस्थापन।

66. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35थ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 20 अक्तूबर, 2010 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय मामलों में अपील का फाइल न किया जाना।

"35द. (1) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, समय-समय पर, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल किए जाने का विनियमन करने के प्रयोजनों के लिए ऐसी धनीय सीमाएं, जो वह ठीक समझे, नियत करने संबंधी आदेश या अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा ।

(2) जहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी ने, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी विनिश्चय या पारित किए गए आदेश के विरुद्ध कोई अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल नहीं किया है, वहां वह ऐसे केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को उन्हीं या समान विवाद्यकों या विधि के प्रश्नों वाले किसी अन्य मामले में कोई अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल करने से निवारित नहीं करेगा ।

(3) इस तथ्य के होते हुए भी कि उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा कोई अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल नहीं किया गया है, कोई व्यक्ति, जो अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश में एक पक्षकार है, यह प्रतिवाद नहीं करेगा कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी ने अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल न करके विवादित विवाद्यक पर विनिश्चय में उपमति दी है ।

(4) ऐसी अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश की सुनवाई करने वाला अपील अधिकरण या न्यायालय उन परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा, जिनके अधीन उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल नहीं किया गया था।

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा 20 अक्तूबर, 2010 को या उसके पश्चात्, किंतु उस तारीख से पूर्व, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल करने की धनीय सीमाएं नियत करने संबंधी जारी किए गए प्रत्येक आदेश या अनुदेश या निर्देश को उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।"।

धारा 38 का संशोधन।

67. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में, "धारा 5क की उपधारा (1)" शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों के पश्चात्, ", धारा 5ख" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 3 का संशोधन।

68. (1) केंद्रीय सरकार द्वारा, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 600(अ), तारीख 10 सितंबर, 2004 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं, का नियम 3, आठवीं अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट नियम के प्रति उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही संशोधित हो जाएगा और भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया गया समझा जाएगा । 1944 का 1

(2) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित उपबंधों के संबंध में 18 अप्रैल, 2006 से ही की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या कोई बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रीति में और प्रभावी रूप से की गई समझी

जाएगी और सदैव से की गई समझी जाएगी, मानो उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहे थे ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार को भूतलक्षी प्रभाव से नियम बनाने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसे उसी प्रकार नियम बनाने की शक्ति है मानो केंद्रीय सरकार को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 37 के अधीन भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति सभी तात्त्विक समयों पर रही थी ।

1944 का 1

1944 का 1

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं का संशोधन।

69. (1) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 679(अ), तारीख 25 अगस्त, 2003, सं0 सा0का0नि0 60(अ), तारीख 21 जनवरी, 2004 और सं0 सा0का0नि0 419(अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचनाएं कहा गया है) नवीं अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिसूचना के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही संशोधित हो जाएंगी और भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित की गई समझी जाएंगी ।

(2) जहां कोई विनिर्माता, उपधारा (1) द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिसूचनाओं के अधीन उपबंधित छूट का फायदा प्राप्त करता है, वहां वह उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर, अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 419 (अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा बाद में यथा संशोधित अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 679(अ), तारीख 25 अगस्त, 2003 और सा0का0नि0 60(अ), तारीख 21 जनवरी, 2004 में विनिर्दिष्ट शर्त (आ) के निबंधनों के अनुसार किए गए विनिधानों से संबंधित ब्यौरे विनिधान अंकन समिति को देगा ।

(3) विनिधान अंकन समिति, उपधारा (2) के अधीन ब्यौरे प्राप्त होने पर और यह समाधान होने पर कि उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्त (आ) में यथाविनिर्दिष्ट विनिधान कर दिया गया है, उक्त अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट शर्त (उ) के अनुसार यथासंभव शीघ्र, किंतु 31 दिसंबर, 2012 के अपश्चात्, प्रमाणपत्र जारी करेगी ।

(4) 31 दिसंबर, 2012 को या उसके पश्चात् निलंबलेख खाते में [अधिसूचना सं0 सा०का०नि० 419(अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 में यथानिर्दिष्ट] पड़ी हुई या अनुपयोजित रह गई शेष कोई रकम समपहृत हो जाएगी और केंद्रीय सरकार के खाते में विनियोजित की जाएगी ।

(5) किसी शुल्क की लागू ब्याज सहित, जो इस प्रकार संदत्त नहीं किया गया है, किंतु संदत्त किए जाने के लिए दायी था, मानो विनिधान अंकन समिति द्वारा प्रमाणपत्र जारी न किए जाने के कारण या किसी अन्य कारण से उक्त अधिसूचनाओं के अधीन फायदे उपलब्ध नहीं कराए गए थे, वसूली 31 दिसंबर, 2012 से एक वर्ष की अवधि के भीतर की जाएगी और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के उपबंध ऐसी वसूली को लागू होंगे।

(6) उक्त अधिसूचनाओं की बाबत की गई किसी कार्रवाई या की गई किसी बात के लिए या उसके लिए जिसके किए जाने का लोप किया गया है, कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण में संस्थित नहीं की जाएगी, बनाए नहीं रखी जाएगी या जारी नहीं रहेगी और किसी न्यायालय द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई के संबंध में या की गई किसी बात के संबंध में, या उसके संबंध में, जिसके किए जाने का लोप किया गया है, किसी डिक्री या आदेश का कोई प्रवर्तन उसी रूप में नहीं किया जाएगा मानो उक्त अधिसूचनाओं में किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहे थे ।

(7) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार को उक्त अधिसूचनाओं का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसे उसी रूप में शक्ति रही है मानो केंद्रीय सरकार को उक्त अधिसूचनाओं का केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्त्विक समयों पर प्राप्त थी ।

1944 का 1

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो उस दशा में दंडनीय नहीं होता, यदि उक्त अधिसूचनाएं भूतलक्षी रूप से संशोधित न की गई होतीं।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

1986 का 5

पहली अनुसूची और तीसरी अनुसूची का संशोधन।

70. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमे इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) में,—

(क) पहली अनुसूची का,—

(i) दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा ;

(ii) 1 जनवरी, 2012 से ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से भी संशोधन किया जाएगा ;

(ख) तीसरी अनुसूची का बारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा ।